न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारी: डॉ. दिनेश राय सापेला, आर.ए.एस.)

राजस्व अपील संख्या: 48 / 2024

अपीलार्थीगण

1. अशोककुमार पुत्र स्वर्गीय श्री हरिराम सिंधी, जाति– सिंधी,
2. रामचन्द्र पुत्र स्वर्गीय श्री हरिराम सिंधी, जाति– सिंधी,
3. मनोजकुमार पुत्र स्वर्गीय श्री हरिराम सिंधी, जाति– सिंधी,
4. दीपककुमार पुत्र स्वर्गीय श्री हरिराम सिंधी जाति– सिंधी,
5. रीटा पुत्री स्वर्गीय श्री हरिराम सिंधी, जाति– सिंधी,
6. सुनिता पुत्री स्वर्गीय श्री हरिराम सिंधी, जाति– सिंधी,

अशोककुमार, मनोजकुमार, दीपककुमार, रीटा व सुनिता जरिये पावर आफ एटोर्नी होल्डर रामचन्द्र पुत्र स्वर्गीय श्री हरिराम सिंधी, जाति सिंधी, सर्व निवासी– सिंधी कॉलोनी, आबुरोड, तहसील– आबूरोड़, जिला सिरोही

बनाम

प्रत्यर्थीगण

(1) श्री भगवानसिंह पुत्र श्री हनवन्तसिंह, जाति– राजपूत, निवासी– करडा, त्हसील–रानीवाडा, जिला– जालोर
(2) राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, रेवदर, जिला– सिरोही

"अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956"

उपस्थितिः

(1) अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेड़तिया, अपीलार्थीगण की ओर से
(2) अधिवक्ता श्री दिलीप राजपुरोहित, प्रत्यर्थी संख्याः 1 (एक) भगवानसिंह की ओर से
(3) पेरोकार सरकार, प्रत्यर्थी संख्या– 2 (दो) की ओर से

–: निर्णय :– **दिनांक 13 अगस्त, 2025**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। अपीलार्थी की ओर से यह अपील तहसीलदार, रेवदर द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 (एक) भगवानसिंह के पक्ष में जारी संपरिवर्तत आदेश क्रमांकःLC/2023-24/159754 दिनांक 16–5–2023 को निरस्त कराने हेतु प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थीगण को सम्मन जारी किये गये। अपील की सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी संख्याः 1 (एक) की ओर से अधिवक्ता श्री दिलीप राजपुरोहित उपस्थित हुये एवं प्रत्यर्थी संख्या 2 (दो) की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित हुये।

(3) बहस सुनी गई। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री मेड़तिया ने अपील में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता पिता स्वर्गीय श्री हरिरामजी सिंधी ने सहायक कलेक्टर, रेवदर की अदालत में एक वाद मौजा वासन के खसरा संख्या 855 रकबा 08 बीघा 11 बिस्वा के संबंध में वास्ते खातेदारी की घोषणा, प्राप्त करने कब्जा, हर्जा तथा स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किया है। मौजा वासन के खसरा संख्या 855 की रकबा 08 बीघा 11 बिस्वा आराजी श्री फतेह मोहम्मदजी के खातेदारी तथा कब्जा काश्त की थी। श्री फतेह मोहम्मदजी ने अपने खातेदारी की उक्त खसरा संख्या 855 की आराजी दिनांक 29–05–1968 को जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख के श्री लेखराजमल पुत्र श्री टंवरमलजी, निवासी– आबुरोड को विक्रय कर कब्जा सुपुर्द कर दिया था, दिनांक

.....पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

29—5—1968 को उक्त खसरा संख्या 855 की आराजी को क्रय कर कब्जा प्राप्त करने के बाद उक्त आराजी श्री लेखराजमल के खातेदारी तथा कब्जा काश्त की हुई। उक्त विक्रय विलेख के आधार पर अज्ञानतावश नामान्तकरण दायर नहीं किया गया। फतेहमोहम्मदजी के वारिसान ने दिनांक 29—5—1968 को जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख के श्री लेखराजमल पुत्र श्री टंवरमलजी, निवासी—आबूरोड द्वारा आराजी को क्रय करना वाद संख्या 16/2005 में स्वीकार किया है। उक्त विक्रय विलेख को आज तक किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी है, जिससे उक्त विक्रय विलेख आज भी प्रभावी है। श्री लेखराजमल पुत्र श्री टंवरमलजी कृषि उपज सब्जीयां वगैरा का क्रय विक्रय का व्यापार करते थे। श्री लेखराजमल पुत्र श्री टंवरमलजी की फर्म का नाम मैसर्स किशनचन्द लेखराजमल एण्ड कम्पनी था तथा इस फर्म में श्री लेखराजमल पुत्र श्री टंवरमलजी, किशनचन्द्र श्री वसन्दमल एवं प्रार्थी हरिराम की संयुक्त भागीदारी थी। श्री लेखराजमल अविवाहित थे और उनका देहान्त नाऔलाद हो गया था। श्री लेखराजमल की मृत्यु के समय भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उनके सगे भाई दुल्लादीनोमल, श्री गुरूोमल व श्री नारूमल, जो उनके साथ ही रहते थे, उनके उत्तराधिकारी हुए तथा उनकी सम्पत्ति धारण की। श्री लेखराजमल के देहान्त के बाद उनके तीनों सगे भाई ने मिलकर फर्म मैसर्स किशनचन्द लेखराजमल एण्ड कम्पनी, आबुरोड के शेष भागीदार श्री किशनचन्द्र व श्री हरिराम प्रार्थी एवं श्री लच्छुमल के विरूद्ध एक भागीदारी का हिसाब करने हेतु एक वाद मुंसिफ मजिस्ट्रेट, आबुरोड के न्यायालय में एक वाद वर्ष 1973 में प्रस्तुत किया। भागीदारी हिसाब के इस वाद में मृतक श्री लेखराजमल के उक्त तीनों सगे भाईयों एवं फर्म के शेष तीनों भागीदारों के मध्य दिनांक 21—05—1974 को फर्म का हिसाब होकर ईकरारनामा लिखा गया, ईकरारनामा के अनुसार लेखराजमल के भाईयों ने फर्म की जायदाद में हिस्सा प्राप्त कर श्री लेखराजमल की अचल जायदाद फर्म के शेष भागीदारों को सुपुर्द कर दी। उक्त राजीनामा ईकरारनामे को न्यायालय में प्रस्तुत कर वाद का निस्तारण करवा दिया गया। वाद के निस्तारण के बाद वादग्रस्त आराजी के विक्रय, देखभाल व रखरखाव के लिए भागीदार श्री किशनचन्द व श्री लच्छुमल ने श्री लक्ष्मणदास गुलाबदास वैष्णव को दिनांक 05—08—1976 को आम मुख्तयार बना दिया। मुंसिफ कोर्ट, आबूरोड की उक्त कार्यवाही के आधार पर भागीदार श्री किशनचन्द्र व श्री हरिराम प्रार्थी एवं श्री लच्छुमल ने वादग्रस्त खसरा संख्या 855 की कृषि आराजी का नामान्तकरण दायर करने हेतु पटवारी हल्का को आवेदन किया गया, जिस पर पटवारी हल्का ने आवेदन पर तथा मौके पर कब्जे की जांच कर आराजी के राजस्व खाते में श्री किशनचन्द्र व श्री हरिराम प्रार्थी एवं श्री लच्छुमल का नाम बतौर खातेदार दर्ज किया गया। उक्त नामान्तकरण दिनांक 04—12—1989 तक यथावत रहा। बाद में उक्त नामान्तकरण को प्रार्थी की जानकारी के बिना खारिज किया कर दिया गया। श्री किशनचन्द्र एवं श्री लच्छुमल ने अपने हिस्से की आराजी का विक्रय अपीलार्थीगण के पिता हरिरामजी सिंधी को दिनांक 20—2—1990 को कर दिया, जिससे हरिरामजी सिंधी उक्त खसरा संख्या 855 की सम्पूर्ण आराजी के खातेदार बने। इस प्रकार उक्त आराजी प्रार्थी के एक मात्र खातेदारी तथा कब्जा काश्त की है। फतेहमोहम्मदजी के वारिसान ईश्माईलखॉ, निजामखॉ, नब्बूखों का राजस्व रेकर्ड में नाम दर्ज होने से उन्होने इसका विधि विरूद्ध लाभ लेने का प्रयास किया और वादग्रस्त आराजी को विक्रय करने का ईकरारनामा नियामत अली व केसा पुत्र हिन्दुजी के हक के कर दिया, प्रतिवादीगण ने उक्त भूमि प्रार्थी के खातेदारी की होने व प्रार्थी कब्जे काश्त मे होने की जानकारी होते हुए भी उक्त कृत्य किया जो विधि में शुन्य थी, फिर भी गलत व विधि विरूद्ध तरीके से प्रार्थी को उक्त वादग्रस्त आराजी से बेदखल कर दिया। यह कि अपीलार्थीगण के पिता द्वारा लम्बित उक्त वाद के विचाराधीन रहते वादग्रस्त आराजी का विक्रय गलत व विधि विरूद्ध तरीके

.....पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही

से प्रत्यर्थी भगवानसिंह व अन्य व्यक्तियों को कर दिया गया, जिसकी जानकारी अपीलार्थीगण को होने पर सहायक कलेक्टर, रेवदर के न्यायालय में लम्बित वाद में प्रत्यर्थी व अन्य को पक्षकार बनाया गया है। प्रत्यर्थी व अन्य के हक में किया गया विक्रय कानुनन शुन्य है, जो वाद के विचाराधीन रहते वाद के निर्णय के अधीन हुआ है, जिससे अपीलार्थीगण के हक अधिकार सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम के तहत किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होते है। प्रत्यर्थी भगवानसिंह व अन्य ने गलत व विधि विरूद्ध विक्रय विलेख के आधार पर वादग्रस्त आराजी के राजस्व अभिलेख में अपना नाम दर्ज करवा दिया है तथा उसके बाद आपसी से सहमति से विभाजन करवाकर उक्त अपीलाधीन आदेश के जरिये वादग्रस्त आराजी का आबादी प्रयोजनार्थ रूपान्तरण कर दिया गया है, जो विधि विरूद्ध है। वादग्रस्त आराजी अपीलार्थीगण के पिता स्वर्गीय श्री हरिरामजी सिंधी के खातेदारी तथा कब्जा काश्त की थी जिनकी मृत्यु के बाद उक्त आराजी अपीलार्थीगण को उत्तराधिकार में प्राप्त हुई है। उक्त आराजी में विक्रेता का कोई हक अधिकार नहीं है क्योंकि वर्ष 1968 में ही उक्त आराजी का विक्रय खातेदार द्वारा कर दिया गया था तथा कब्जा भी क्रेता को सुपुर्द कर दिया गया था। आराजी का विक्रय करने के बाद स्वर्गीय श्री फतेह मोहम्मद के वारिसान का उक्त आराजी में कोई हक अधिकार शेष नहीं रहता है। उक्त वादग्रस्त आराजी के खातेदारी हक अधिकारों के संबंध में वाद सक्षम न्यायालय में विचाराधीन होते हुए प्रत्यर्थी भगवानसिंह को उक्त जानकारी होते हुए कि आराजी न्यायालय में विवादित है तथा आराजी अपीलार्थीगण के खातेदारी की है, फिर भी प्रत्यर्थी भगवानसिंह ने उक्त आराजी को जरिए पंजीकृत विक्रय विलेख के खरीदकर आराजी का आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरित करवाया है, जो विधि में शुन्य है, जिसके आधार पर प्रत्यर्थी भगवानसिंह को वादग्रस्त आराजी में कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं होते है। खसरा संख्या 855 की आराजी सक्षम न्यायालय में विवादित होने तथा आराजी के संबंध में विवाद न्यायालय में विचाराधीन होने से आराजी का कानुनन रूपान्तरण नहीं हो सकता था, अधीनस्थ तहसीलदार व पटवारी हल्का को भी उक्त तथ्य की पुरी तरह से जानकारी है कि उक्त आराजी के सम्बधं में विवाद न्यायालय में विचाराधीन है, फिर भी उक्त आराजी को विवादित नहीं होना बताकर गलत तथ्यों के आधार पर गलत व विधि विरूद्ध तरीके से उक्त रूपान्तरण की कार्यवाही की गई है। वादग्रस्त आराजी पर विक्रेता का अवैद्य कब्जा था, जिससे उसको कब्जा अंतरित करने का कोई अधिकार नहीं था, अन्यथा भी अपीलार्थीगण के खातेदारी की आराजी पर प्रत्यर्थी भगवानसिंह का अवैद्य कब्जा होने से उक्त रूपान्तरण विधि में शुन्य है। अतः अपीलार्थी की अपील को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, रेवदर द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 (एक) भगवानसिंह के पक्ष में जारी संपरिवर्तन आदेश क्रमांकःLC/2023-24/159754 दिनांक 16—5—2023 को निरस्त किया जावे। जबकि बहस के दौरान प्रत्यर्थी संख्या 1 (एक) के विद्वान अधिवक्ता श्री राजपुरोहित ने यह व्यक्त किया कि अपील में वर्णित कोई आराजी अपीलार्थी के खातेदारी व कब्जे काश्त की नहीं हैं, बल्कि खसरा संख्या 855 व 858 पूर्व में अन्य खातेदारान की होने से उन खातेदारो से प्रत्यर्थी भगवानसिंह व अन्य व्यक्तियों द्वारा पंजीकृत विक्रय विलेख के जरिये खरीदकर कब्जा, हक अधिकार प्राप्त कर उक्त आराजी का विधि अनुरूप बंटवारा करवाकर सम्पूर्ण विहित प्रक्रिया का पालन कर नियमानुसार आबादी रूपान्तरण करवाया गया है। यह कि उक्त भूमि के संबंध में अपीलार्थीगण की ओर से सहायक कलेक्टर न्यायालय, रेवदर में प्रस्तुत राजस्व वाद संख्या 16/2005 अन्तर्गत धारा 88, 183 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 को बाद सुनवाई पक्षकारान न्यायालय सहायक कलेक्टर, रेवदर द्वारा दिनांक 20—02—2025 को अस्वीकार कर खारिज कर दिया गया है। अपीलार्थीगण द्वारा सहायक कलेक्टर, रेवदर के न्यायालय में प्रस्तुत उक्त वाद संख्या 16/2005 अन्तर्गत

.......पेज चार पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अतिरिक्त जिला न्यायालय * सिरोही *

धारा 88, 183 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 को सहायक कलेक्टर, रेवदर के न्यायालय द्वारा दिनांक 20—02—2005 को इस आधार पर खारिज किया गया कि उक्त आराजी में अपीलार्थीगण का कोई हक अधिकार न तो कभी रहा है, न ही वर्तमान में प्राप्त हुआ है। ऐसी स्थिति में जब अपीलार्थीगण के पक्ष में खातेदारी की घोषणा किये जाने से सक्षम राजस्व न्यायालय द्वारा इनकार कर दिय जाने के कारण इस आराजी में अपीलार्थीगण का कोई हक अधिकार नहीं होने से प्रत्यर्थी भगवानसिंह के पक्ष में किये गये रूपान्तरण को किसी भी प्रकार से चुनौती देने के लिए अपीलार्थीगण सक्षम नहीं है। यह कि तहसीलदार, रेवदर द्वारा राजस्थान भू—रूपान्तरण नियमों के अनुरूप विहित शुल्क प्राप्त कर प्रत्यर्थी भगवानसिंह के पक्ष में रूपान्तरण किया गया है। अपीलार्थीगण द्वारा अपील में अंकित कथनों के आधार पर ही सहायक कलेक्टर, रेवदर के न्यायालय में खातेदारी घोषणा का वाद प्रस्तुत किया था जिसे न्यायालय द्वारा गुणावगुण पर अस्वीकार कर दिया है। ऐसी स्थिति में, उक्त आराजी की खातेदारी के संबंध में कोई अधिकार कभी भी अपीलार्थीगण या उनके पिता हरिराम को प्राप्त नहीं हुए थे। उक्त आराजी रेकर्डेड खातेदारो के स्वामित्व व कब्जे काश्त हक अधिकार की होने के कारण उक्त खातेदारो ने अपनी स्वतंत्र इच्छा व सहमति से बिना किसी भय, दबाव के उक्त कृषि भूमि का विक्रय प्रत्यर्थी भगवानसिंह व अन्य व्यक्तियों को सम्पूर्ण प्रतिफल प्राप्त कर किया है तथा उसका कब्जा भी क्रेतागण को सुपूर्द कर दिया एवं प्रत्यर्थी भगवानसिंह व अन्य व्यक्तियों द्वारा उक्त भूमि का राजस्व रेकर्ड में अपने नाम नामान्तरकरण दर्ज करवाने के बाद इसका कृषि भूमि से अकृषि प्रयोजन हेतु रूपान्तरण करवाकर मौके पर आबादी विकसित की है तथा इस विक्रय विलेख को निरस्त करवाये बिना अपीलार्थी इस रूपान्तरण आदेश को चुनौती देने के लिए कानूनन सक्षम नहीं है। अपीलार्थीगण ने अपील में जिस वाद का उल्लेख किया है उस वाद में कोई स्थगन आदेश जारी नही हुआ था व न ही इस अपील के साथ किसी प्रकार का कोई स्थगन आदेश प्रस्तुत किया है। उक्त आराजी विक्रेतागण की कब्जे काश्त व खातेदारी की होने तथा उक्त खातेदारो से प्रत्यर्थी भगवानसिंह द्वारा खरीद की गई होने के कारण उक्त विक्रय विलेख के आधार पर तहसीलदार, रेवदर द्वारा नामान्तरकरण दर्ज करने से पूर्व राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रक्रिया का पालन कर नामान्तरकरण दर्ज किया गया है एवं उक्त खसरा संख्या 855 व 858 की आराजी अलग—अलग खातेदारान से अलग—अलग लोगों द्वारा खरीद करने के बाद नामान्तरकरण दर्ज करवाकर आपसी सहमति से उक्त आराजी का बंटवारा कर इसका नियमानुसार आबादी रूपान्तरण कराया गया है। प्रत्यर्थी भगवानसिंह के पक्ष में तहसीलदार, रेवदर द्वारा जारी, उक्त रूपान्तरण आदेश को पूर्व में हुसैनी मिशन संस्था द्वारा इस न्यायालय के समक्ष अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम में चुनौती दी थी जिसे न्यायालय द्वारा दिनांक 28—05—2025 को अस्वीकार कर खारिज करते हुए उक्त रूपान्तरण आदेश को वैध ठहराया है। ऐसी स्थिति में उन्हीं तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत यह अपील भी प्रथम दृष्टया ही खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपीलार्थीगण की अपील को खारिज किया जावे। विद्वान पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि तहसीलदार, रेवदर द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 (एक) के पक्ष में बाद जांच नियमानुसार शुल्क राशि वसूल कर उक्त कृषि भूमि का अकृषि आबादी प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन आदेश जारी किया गया है।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, रेवदर की पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि तहसीलदार, रेवदर द्वारा राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम, 2007 के नियम 9

......पेज पांच पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर * सिरोही *

के अर्न्तगत प्रत्यर्थी संख्या 1 (एक) भगवानसिंह के हक में ग्राम वासन, पटवार हल्का वासन के खसरा संख्या 855/1 रकबा 3156.543 वर्गमीटर कृषि भूमि का अकृषि आवासीय इकाई प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन आदेश क्रमांकःLC/2023-24/159754 दिनांक 16—5—2023 को जारी किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 (एक) भगवानसिंह द्वारा उसकी उक्त खातेदारी कृषि भूमि का अकृषि आवासीय इकाई प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन कराने हेतु राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम, 2007 के तहत तहसीलदार, रेवदर को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर तहसीलदार, रेवदर ने संपरिवर्तन हेतु प्रस्तावित भूमि की पटवारी हल्का, वासन से मौके व रेकर्ड की जांच रिपोर्ट प्राप्त करके एवं नियमान्तर्गत निर्धारित संपरिवर्तन शुल्क राशि राजकोष में जमा करवाये जाने के बाद उक्त कृषि भूमि का अकृषि आवासीय इकाई प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन आदेश जारी किया गया है, जो राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम, 2007 के अर्न्तगत कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरितर्वन हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए जारी किया गया है।

प्रकरण में प्रत्यर्थी संख्या 1 (एक) भगवानसिंह की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि श्री हरिराम पुत्र वसनमलजी, जाति—सिंधी, निवासी— सिंधी कॉलोनी, आबुरोड़, जिला— सिरोही के वारिसान व उत्तराधिकारी श्रीमती पुष्पादेवी पत्नि स्वर्गीय श्री हरिराम (मृतक) एवं अपीलार्थीगण द्वारा ईस्माईल खां पुत्र फतेह मोहम्मद (मृतक) के वारिसान व उत्तराधिकारी श्रीमती सुबनी बानो पत्नि ईश्माईल खां, जाति— मुसलमान, निवासी— वासन व अन्य (जिसमें प्रत्यर्थी भगवानसिंह पुत्र श्री हनवन्तसिंह, जाति— राजपूत, निवासी— करडा, तहसील— रानीवाडा भी बतौर प्रतिवादी संख्या 8 पक्षकार है) के विरुद्ध सहायक कलेक्टर न्यायालय, रेवदर के न्यायालय में उक्त भूमि के संबंध में एक राजस्व वाद अर्न्तगत धारा 88, 183 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत किया था, जो राजस्व वाद संख्या 16/2005 पर दर्ज रजिस्टर हुआ। सहायक कलेक्टर न्यायालय, रेवदर द्वारा उक्त राजस्व वाद संख्या 16/2005 में बाद सुनवाई पक्षकारान पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20—2—2025 के अनुसार मौजा वासन, पटवार मण्डल वासन स्थित कृषि आराजी खसरा संख्या 855 रकबा 08 बीघा 11 बिस्वा भूमि पर वादी का कभी कोई हक अधिकार या खातेदारी अधिकार सिद्ध नही होने से वादी का वाद खातेदारी घोषणा, प्रतिवादीगणों की बेदखली व रेकर्डे खातेदारी के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा का परिपोषणीय नही होने से अस्वीकार किया गया है।

प्रकरण में प्रत्यर्थी भगवानसिंह की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि हुसैनी मिशन ग्राम विकास संस्थान, वासन जरिये उसके प्राधिकृत अधिकारी श्री ईनायत हुसैन जैदी पुत्र श्री गयूर हुसैन जैदी, जाति— मुसलमान, निवासी— वासन, तहसील— रेवदर, जिला— सिरोही ने प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध तहसीलदार, रेवदर द्वारा प्रत्यर्थी भगवानसिंह पुत्र श्री हनवन्तसिंह, जाति— राजपूत, निवासी— करडा के हक में ग्राम वासन, पटवार हल्का वासन के खसरा संख्या 855/1 रकबा 3156.543 वर्गमीटर कृषि भूमि का अकृषि आवासीय इकाई प्रयोजनार्थ जारी संपरिवर्तन आदेश क्रमांकःLC/2023-24/159754 दिनांक 16—5—2023 को निरस्त कराने हेतु इस न्यायालय में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत अपील प्रस्तुत की गई थी। जो इस न्यायालय में राजस्व अपील संख्या 25/2024 पर दर्ज रजिस्टर होकर इस न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई पक्षकारान, उक्त राजस्व अपील संख्याः 25/2024 अनवान हुसैन मिशन ग्राम विकास संस्थान, वासन जरिये

.....पेज छः पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही

उसके प्राधिकृत अधिकारी श्री ईनायत हुसैन जैदी बनाम भगवानसिंह व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 28 मई, 2025 के द्वारा अपीलार्थी संस्था की अपील को खारिज किया गया है।

चूंकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 (एक) द्वारा उसकी खातेदारी कृषि भूमि के संपरिवर्तन हेतु राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम, 2007 के तहत तहसीलदार, रेवदर को आवेदन करने पर तहसीलदार, रेवदर द्वारा बाद जांच एवं निर्धारित शुल्क राशि राजकोष में जमा होने के बाद प्रत्यर्थी संख्या 1 (एक) के पक्ष में उक्त कृषि भूमि का अकृषि आवासीय इकाई प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन आदेश जारी किया गया है, जिसमें कोई अनियमितता व अविधिकता प्रतीत नही होती है। ऐसी स्थिति में, अपीलार्थीगण की अपील सारहीन होने व साबित नही होने से खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत अपील अपीलार्थी, अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध प्रत्यर्थीगण सारहीन होने व साबित नही होने से खारिज की जाती है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 13 अगस्त, 2025 को सर–ए–ईजलास सुनाया गया।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सिरोही

अतिरिक्त जिला कलक्टर न्यायालय * सिरोही * सत्यमेव जयते